## ब–अदालत उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

**पीठासीन अधिकारी:–सुश्री प्रियंका तलानिया(आर.ए.एस)**

**प्रकरण सं.:–125/2021**

नत्थुराम पुत्र शंकरलाल जाति नायक उम्र 55 वर्ष निवासी 15 ए तहसील अनूपगढ़ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम्

1– हरीराम पुत्र सरदारा राम जाति नायक निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

2– औम प्रकाश पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

3– जेठाराम पुत्र सरदाराराम जाति नायक निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

4– तिलोकाराम पुत्र सरदाराराम जाति नायक निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

5– बनवारीलाल पुत्र दुलाराम जाति नायक निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

6–भजनलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

7–श्यामलाल पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी 7 के एन डी तहसील घड़साना जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

8–सुलतान पुत्र सरदारा राम जाति नायक निवासी 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ जिला–श्रीगंगानगर (राज.)

9–सहायक अभियंता(ग्रामीण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम, अनूपगढ़

10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व),अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

–प्रतिवादीगण

**<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा–53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**

**::निर्णय::** दिनांक–29.9.2022

वादी ने न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि वाके चक–5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–27 पत्थर नं.–292/447 का किला नं.–1ता14 प्रत्येक 0.253 हैक्टर,15,16, प्रत्येक 0.253,17/2,18ता20 प्रत्येक 0.253 हैक्टर,21/1,22/2,23/1,24/1व 25/3 इस प्रकार कुल 5.586 हैक्टर कमाण्ड अनकमाण्ड मय खातेदारी कृषि भूमि [illegible] वादी [illegible] सं.–1ता8 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जम[illegible] की [illegible]त प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि में वादी [illegible] 57 [illegible] हिस्सा, प्रतिवादी सं.–1का 1193/5586 हिस्सा, [illegible] हिस्सा, प्रतिवादी सं.–3 का 199/931 हिस्सा प्रतिवादी सं.–4 का 635/2793 हि[illegible] प्रतिवादी सं.–5 का 127/5586 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–4 का 635/2793 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–5 का 127/5586 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–6 का 127/5586 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–7 का 127/5586 हिस्सा, प्रतिवादी सं.–8 का 941/5586 हिस्सा दर्ज है तथा वादी एवं 36/931 हिस्सा व प्रतिवादी सं.–8 का 941/5586 हिस्सा दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादी संत्र–1ता8 उपरोक्तानुसार व सुविधानुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है। उक्त संयुक्त खाता की कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादी सं.–1ता8

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka T
Date: 2022.11.09 13:18:53 IS
Reason: SelfAttested

Priyanka

उपरोक्तानुसार हिस्सा व सुविधानुसार काश्त करने के प्रयोजन से घरेलू तौर पर वादी किला नं.–18,22,23, प्रतिवादी सं.–1 किला नं.–3,5,8,13,19 प्रतिवादी सं.–2 किला नं. –16 प्रतिवादी सं.–3 किला नं.–1,10,11,20,5 प्रतिवादी सं.–4 किला नं.–4,7,14,17 प्रतिवादी सं.–5 किला नं.–24,25 प्रतिवी सं.–6 किला नं.–6 प्रतिवादी सं.–7 किला नं. –21,22 व प्रतिवादी सं.–8 किला नं.–2,9,12 की भूमि को काश्त करते है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं.–1ता8 के नाम से संयुक्त दर्ज है और हमारे बीच आपस में उक्त भूमि की काश्त, सिंचाई व उसका उपभोग,उपयोग करने में तथा अपने अपने हिस्सा अनुसार राजस्व कर व सिंचाई कर अदा करने मे अक्सर विवाद होता रहता है।चूंकि उक्त विवादित भूमि मौका पर संयुक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका अभी तक वादी एव प्रतिवादी सं.–01 के मध्य खाता विभाजन नही हुआ है। ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त विवादित भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त सिंचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा अनुसार राजस्व कर एवं सिंचाई कर आदि को लेकर हर समय विवाद होता है। जिस संबंध में वादी ने प्रतिवादी सं.–1ता8 से कई बार कहा कि अपने सभी सहमत होकर तहसील में चल कर अपने अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवें ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके।लेकिन प्रतिवादीगण कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते है। वादी को अभी कुछ दिन पहले ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं.–01 बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ठ रूप से किला नं.–18 मे बिना वादीके ज्ञान मे गुपचुप तरीके से सिंचाई का कुंआ खोद अथवा बोर कर उस पर प्रतिवादी सं.–9 विद्युत विभाग से कृषि कनैक्शन लेने के प्रयासरत है जिस पर बिल आखिरकार आज से अरसा तीन रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी सं.–1ता8 से तहसील मे चल कर भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे बंटवारा करवाने का कहा तो प्रतिवादी सं.–01 ऐसा करने से साफ इंकार हो गये तथा स्पष्ट कहा कि उसे बंटवारा की कोई जरूरत नही है वादी या किसी अन्य को जरूरत है तो वे करवा सकते है तथा प्रतिवादी सं.–01 ने वादी को कहा कि वह शीघ्र ही बिना खाता विभाजन करवाये ही विशिष्ठ रूप से किला नं.–18 की भूमि पर सिंचाई के लिए कुआं खोदकर उस पर मोटर लगाकर विद्युत विभाग से कनेक्शन ले लूंगा जिस पर वादी प्रतिवादी सं.–09 के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने वादी की कोई सुनवाई नही की बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है। प्रतिवादी सं.–1ता9 अपने उक्त नापाक ईरादे मे कामयब हो गये तो इससे और भी विवाद बढ जायेगें तथा तृतीय पक्षकार द्वारा विवाद उत्पन्न किया जावेगा जिससे वादी के सवैधानिक अधिकारों का हनन होगा ओर वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

इस पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब [illegible] प्रतिवादी सं–1ता8 की तरफ से अधिवक्ता श्री हंसराज [illegible] की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित। जवाब स्टेट [illegible] ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादी[illegible] बंटवारा अनुसार राजीनामा होना जाहिर करते हुऐ राजीनामा अदालत मे प्रस्तु[illegible] किया लेकिन राजीनामा में रास्ता का अंकन नही होने के कारण पुन संशोधित बंटवारा पेश किया गया तथा बंटवारा अनुसार ही सभी पक्षों ने अपने–2 हिस्सा पर काबिज होना जाहिर किया तथा उसी अनुसार वाद डिक्री करवाना चाहते है। पक्षकारान के मध्य हुआ राजीनामा निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyank
Date: 2022.11.09 13:18:5
Reason: SelfAttested

➢ **वादी नत्थुराम के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक–5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–22 मे 0.1900 हैक्टर किला नं.–23 मे 0.2020 हैक्टर कुल 0.3920 हैक्टर कुल 0.3920 हैक्टर कमाण्ड रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–1 हरीराम के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक–5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.3/0.227, 6,18 प्रत्येक सालम , किला नं.–8 मे 0.0921 हैक्टर, किला नं.–13 में 0.09210 हैक्टर, किला नं–16 में 0.0568 हैक्टर, किला नं.–17 में 0.0250 हैक्टर, किला नं.–19 में 0.1270 हैक्टर, किला नं.–20 में 0.0154 हैक्टर, किला नं.–24 में 0.0210 हैक्टर कुल 1.1624 हैक्टर

➢ **प्रतिवादी सं–2 औमप्रकाश के हिस्सा मे**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–15/2 मे 0.1260 हैक्टर

➢ **प्रतिवादी सं–3 जेठाराम के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर सं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–1में 0.227, 5 में 0.227, 10 प्रत्येक सालम किला नं.–11 मे 0.1342 हैक्टर, किला नं.–16 में 0.0567 हैक्टर, किला नं.–20 में 0.2376 हैक्टर कुल 1.1355 हैक्टर कमाण्ड रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–4 तिलोकाराम के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–4में 0.227, 7,14 प्रत्येक सालम, किला नं.–8 में 0.1609 हैक्टर, किला नं.–13 में 0.1609 हैक्टर, किला नं.–16 मे 0.0567 हैक्टर, किला नं.–19 मे 0.126 हैक्टर कुल 1.2375 हैक्टर कमाण्ड रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–5 बनवारीलाल के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–25 में 0.1260 हैक्टर कमाण्ड रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–6 भजनलाल के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक–5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–15/2 में 0.1270 हैक्टर कमाण्ड रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–7 श्यामलाल के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–21 में 0.2020 हैक्टर, किला नं.–22 मे 0.0130 हैक्टर कुल 0.2150 हैक्टर रकबा

➢ **प्रतिवादी सं–8 सुलतानाराम के हिस्सा में**

- कृषि भूमि वाके चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–292/447 मुरब्बा नं.–27 का किला नं.–2 में 0.227, 9,12 प्रत्येक सालम किला [illegible] में 0.1188 हैक्टर किला नं.–16 में 0.0568 हैक्टर कुल 0.9086 हैक्टर [illegible] रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyank
Date: 2022.11.09 13:18:5
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता को सुना गया। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे स्पष्ट किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है तथा उसी अनुसार सभी पक्षकार अपने–2 हिस्सा पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उसी अनुसार वादी बंटवारा करवा कर अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवा

कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करवाने तथा उसी अनुसार खातेदार कृषक घोषित होने का विधिक अधिकारी है तथा इस संबंध मे प्रतिवादीगण व वादी के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा वादी द्वारा चाहे गऐ अनुतोष से प्रतिवादीगण पूर्णतया सहमत है तथा वाद वादी डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी जेठाराम, तिलोकाराम, हरीराम, सुलतानाराम पिसरान सरदारा राम जाति नायक ने सहमति पत्र प्रदान कर निवेदन किया कि हम मिकरान की मुश्तरका खाता कृषि भूमि चक 5 पीजीएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–292/447 का कुल 5.586 हैक्टर कमाण्ड रकबा है। जिसका हम मिकरान मालिक वा काबिज है। उक्त रकबा चक 5 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–292/447 में किला नं.–1ता5 में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ 16 फुट यानि 0.026 हैक्टर रकबा का रास्ता छोड़ रहे है। जिससे ब.हि.ब. दर्ज किया जाता है तो हम मिकरान को कोई उज्र वा एतराज नही है। हम मिकरान सहमत है। उक्त रास्ते को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नही करेगे अगर करते है तो वह सरासर झुठा माना जावेगा।

इस संबंध मे आर.आर.डी 1981 पेज 512 आर.टी.ए धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी 1966 पेज 71 ए.आई.आर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आर.आर.डी पेज 219, आर.आर.डी 1975–478, ए.आई.आर 1966 (एस.सी) 432, आर.आर.डी 1975 पेज 489 की नजरी प्रस्तुत करते हुऐ आर.टी. एक्ट की धारा–53 की भी व्याख्या करते हुऐ कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) अधिनियम 1955 के नियम–19 व आदेश–12 नियम–6 एवं आदेश–23 नियम–3 सी.पी.सी. में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

वादी के उक्त तथ्य पत्रावली पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित है तथा वादी के उक्त कथनों का पत्रावली पर कोई विरोध नही है। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादीगण सं–1ता8 पूर्णतया सहमत है तथा उपरोक्त कृषि भूमि सहकाश्तकार है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के अधिकार निहित है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद मय खर्चा डिक्री किऐ जाने योग्य है।

## ::आदेश::

वाद वादी अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय खर्चा डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में मुताबिक राजीनामा के आधार पर किया गया खाता विभाजन दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें तथा किला नं.–1ता5 में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ 16 फुट यानि 0.026 हैक्टर रकबा एवं किला नं.–16 में 16 फुट यानि 0.026 हैक्टर ब.हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड किया जावें। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक–29.09.2022 को लिखा जाकर मज्मे आम मे [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Ta
Date: 2022.11.09 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ